रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11082021-228915
CG-RJ-E-11082021-228915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943
No. 328] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

राजकोट, 26 जुलाई, 2021

सं. एसजीबी/एच.ओ./पर/6382/2021.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जो कि प्रायोजक बैक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्द्वारा सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते है, नामत: :-

1. (1) इन विनियमों को सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जायेगा।

   (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में खण्ड (छ) के लिए उप-विनियम (1) में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

(छ) "सक्षम प्राधिकारी” से तात्पर्य है :

“(i) स्केल-III, IV और V के अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष ;

(ii) स्केल- I और II के अधिकारी के संबंध में महाप्रबंधक ; और

(iii) समूह “ख'' कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजन) और समूह “ग” कार्यालय परिचारक (बहुप्रयोजन) जैसे कर्मचारियों के संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित अधिकारी जो स्केल-IV के स्तर से कम न हो।''

3. उक्त विनियम के लिए विनियम 50 में खण्ड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(i) निदेशक मण्डल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है ;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी है ; और

(iii) महाप्रबंधक, जहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (iii) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है।"

श्री एम.बी. कलमठेकर , अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./181/2021-22]

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में संख्यांक 229 तारीख 13.09.2010 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 468 तारीख 06.12.2018 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

SAURASHTRA GRAMIN BANK

(Head Office)

NOTIFICATION

Rajkot, the 26th July, 2021

No. SGB/HO/PER/6382/2021.—In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Saurashtra Gramin Bank after consultation with State Bank of India being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to, amend the Saurashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010, namely:—

1. (1) These regulations may be called Saurashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Saurashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :-

(g) "Competent Authority" means,-

"(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;

(ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and

(iii) an Officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board";

3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;

(ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and

(iii) the General Manager, where the Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2."

SHRI M. B. KALAMTHEKAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./181/2021-22]

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 vide Notification No. 229 dated 13.09.2010 and subsequently amended vide Notification No. 468 dated 06.12.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.11 22:18:29 +05'30'